"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2016—चैत्र 5, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बिनम्रता बराल पिता श्री आर. के. बराल, उम्र 24 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 19, सड़क 1-ई, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शालेय अभिलेख, विभागीय व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम बिनम्रता बराल (Binamrata Baral) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम वीनुथा बराल (Veenutha Baral) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे वीनुथा बराल पिता श्री आर. के. बराल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
बिनम्रता बराल (Binamrata Baral) पिता श्री आर. के. बराल निवासी-प्लाट नं. 19, सड़क 1-ई, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	वीनुथा बराल (Veenutha Baral) पिता श्री आर. के. बराल निवासी-प्लाट नं. 19, सड़क 1-ई, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

NAME CHANGE

I, Lathika Vinod W/o Shri Vinod das Occupation-Service and Resident of - M.I.G. 02/14 Hudco Sector Amdi Nagar Bhilai, Bhilai West District Durg (C. G.) 490009 has adopted master Aditya Kumar previously known as Manish Mohan and executed an agreement for adoption with V. Bindu. I have received the custody of master Aditya Kumar from the mother of the child, and adopted him as my adopted son. That master Aditya Kumar shall henceforth bear the surname of the adopter and in all respect shall be treated as if he were the child of the adopter. Master Aditya Kumar wholly renounce/ relinquish and abandon the use of his former name/surname of Manish Mohan and in place thereof, hereby assume the name/surname Adiyta Kumar, so that he may hereafter be called, known and distinguished not by his former name/surname, but assumed name/surname of Aditya Kumar.

That for the purpose of evidencing such determination declare that he shall at all times hereafter in all records, deeds and writings and in all proceeding, dealings and transactions, private as well as government upon all occasions whatsoever, use and sign the name of my adopted son Aditya kumar as name/surname in place and in substitution of his former name/surname.

OLD NAME	**NEW NAME**
MANISH MOHAN	ADITYA KUMAR
Father : SHRI MOHAN NARAYANAN	Father : SHRI VINOD DAS
Mother : BINDU MOHAN	Mother : LATHIKA VINOD
R/o SANTHYA VILASOM, VENKULAM,	R/o MIG II-14, HUDCO BHILAI
EDAVA VILLAGE	DISTRICT : DURG (C.G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पूजा चौधरी (Smt. Pooja Choudhary) पति श्री महेन्द्र चौधरी, निवासी शांतिनगर, वार्ड नं. 3, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. प्रीति कश्यप पिता श्री प्रफुल्ल कुमार कश्यप था. मैं अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पूजा चौधरी पति महेन्द्र चौधरी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती पूजा चौधरी पति श्री महेन्द्र चौधरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. प्रीति कश्यप	श्रीमती पूजा चौधरी
पिता श्री प्रफुल्ल कुमार कश्यप	पति श्री महेन्द्र चौधरी
निवासी- शांतिनगर, वार्ड नं. 3,	निवासी- शांतिनगर, वार्ड नं. 3,
बिलासपुर (छ. ग.)	बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोतीलाल साहू आत्मज रामदयाल, आयु 51 वर्ष, जाति तेली, निवासी-ग्राम व पो. कान्दुल तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भिलाई इस्पात संयंत्र ठेका श्रमिक हेतु पास में मेरा नाम लिपिकीय त्रुटिवश मोतीराम दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम मोतीलाल साहू है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मोतीलाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोतीलाल साहू आत्मज रामदयाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मोतीराम साहू पिता रामदयाल साहू निवासी- ग्राम व पोष्ट कान्दुल तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.) पिनकोड 491225	मोतीलाल साहू पिता रामदयाल साहू निवासी- ग्राम व पोष्ट कान्दुल तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.) पिनकोड 491225

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भागवत प्रसाद साहू आत्मज स्व. तुकाराम साहू, उम्र 49 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 51 सी, सड़क-16, सेक्टर-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भागवत प्रसाद आ. तुकाराम दर्ज है. मेरी जाति तेली है और उपजाति (सरनेम) साहू है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम "साहू" जोड़कर नया नाम भागवत प्रसाद साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे भागवत प्रसाद साहू आत्मज स्व. तुकाराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
भागवत प्रसाद (Bhagwat Prasad) पिता श्री तुकाराम निवासी-क्वा. नं. 51 सी, सड़क-16, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	भागवत प्रसाद साहू (Bhagwat Prasad Sahu) पिता श्री तुकाराम साहू निवासी-क्वा. नं. 51 सी, सड़क-16, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजुक्ता कसेर पति श्री विजय कुमार कसेर, उम्र 39 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 7/ए, सड़क 12, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री विजय कुमार कसेर के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के मेडिकल कार्ड एवं बैंकखाता में मेरा नाम संजुक्ता एवं श्रीमति संजुक्ता दर्ज है तथा मेरे आधार कार्ड में उपनाम के साथ संजुक्ता कसेर दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "कसेर" जोड़कर नया नाम संजुक्ता कसेर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे संजुक्ता कसेर पति श्री विजय कुमार कसेर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
संजुक्ता पति श्री विजय कुमार कसेर निवासी-क्वा. नं. 7/ए, सड़क 12, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	संजुक्ता कसेर पति श्री विजय कुमार कसेर निवासी-क्वा. नं. 7/ए, सड़क 12, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2016

क्रमांक/परिसमापन/पुर्नजीवित/2016/868.—आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. कोरबी पं. क्र. 3866 दिनांक 19-06-1997 विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर को पुर्नजीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा द्वारा पुर्नजीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा समिति सदस्यों की बैठक दिनांक 04-01-2016 को की गई है, जिसमें संस्था को पुर्नजीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा सयम-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करने का निर्णय लिया गया है एवं संस्था का वित्तीय वर्ष 2014-15 तक का अंकेक्षण कराया गया है संस्था को मत्स्य पालन हेतु तालाब लीज पर प्राप्त है अत: सदस्यों के हित में परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. कोरबी पं. क्र. 3866 दिनांक 19-06-1997 विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर को पुर्नजीवित करता हूं एवं आगामी 06 माह तक संस्था के कार्यकारिणी के कार्य संचालक हेतु तत्कालीन संचालक मंडल को अधिकृत करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.